मेरे अधिकार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

PART

ACTION RESEARCH & RESOURCE CENTRE

पावती

मेरा अधिकार
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

चित्रण, डिजाइन और लेआउट
अनन्या सनवाल

अनुसंधान और संकलन
वंशिका मोहता, प्रतिमा कुमारी, मंगला वर्मा, विपुल कुमार, संजना श्रीकुमार, जॉयसी मिलुन, हमजा तारिक़।

जून 2025 में नई दिल्ली में पार्ट 3 फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित

© पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर, पार्ट 3 फाउंडेशन का एक कार्यक्रम है। यह पुस्तिका पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर की संपत्ति है। इसका कोई भी हिस्सा किसी भी व्यावसायिक हितों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से साझा, पढ़ा, इस्तेमाल और काम किया जा सकता है - अपने प्रयास में यदि आप हमें आभार व्यक्त करें तो हमें अच्छा लगेगा। यह पुस्तिका पार्ट III टीम का एक सामूहिक प्रयास है। इस पुस्तिका पर आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा।

आप सभी पत्राचार को निम्न पते पर भेज सकते हैं:

पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर
दिल्ली: पी-60, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-पी, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली - 110019

ईमेल: contact@part-three.org

विषय सूची पृष्ठ

1. सुमित की कहानी 4-9

2. विशेष कानून क्यों? 10-12

3. अत्याचार क्या है? 13-22

4. राहत और मुआवज़े का अधिकार 23-26

5. कानून प्रक्रिया की समय सीमा 27-29

6. पीड़ितों और गवाहों के विशेष अधिकार 30

7. सतर्कता और निगरानी 31-33

8. कानून से जूझने के कुछ उपाय 34-38

9. मुआवज़ा अनुसूची 39-45

सुमित की कहानी

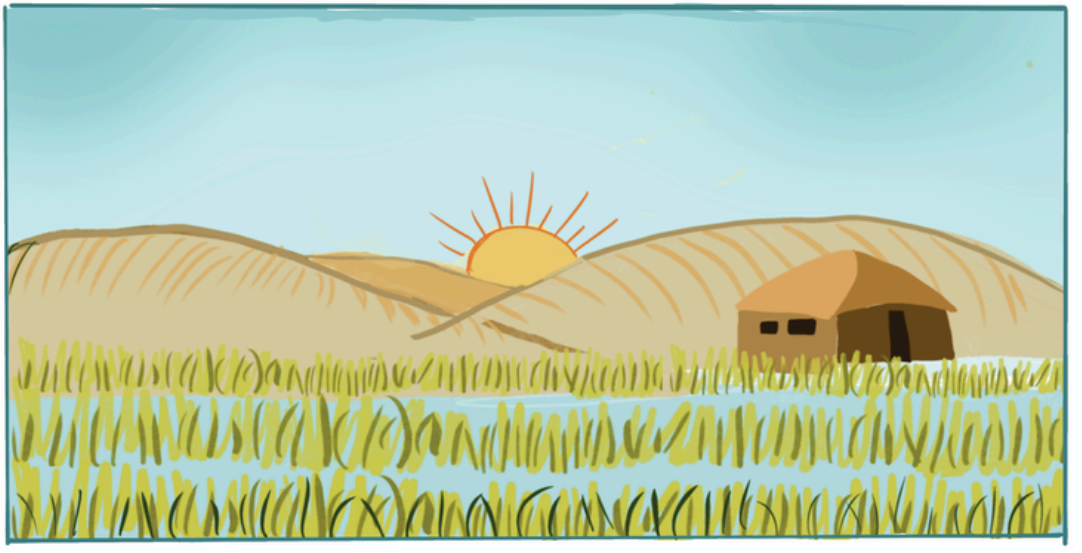

आप कब पूछेंगे मालिक से? दो साल से वे हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किये हैं, हमें खेती भी नहीं करने दे रहे हैं।
मैं आज ही बात करूंगा।

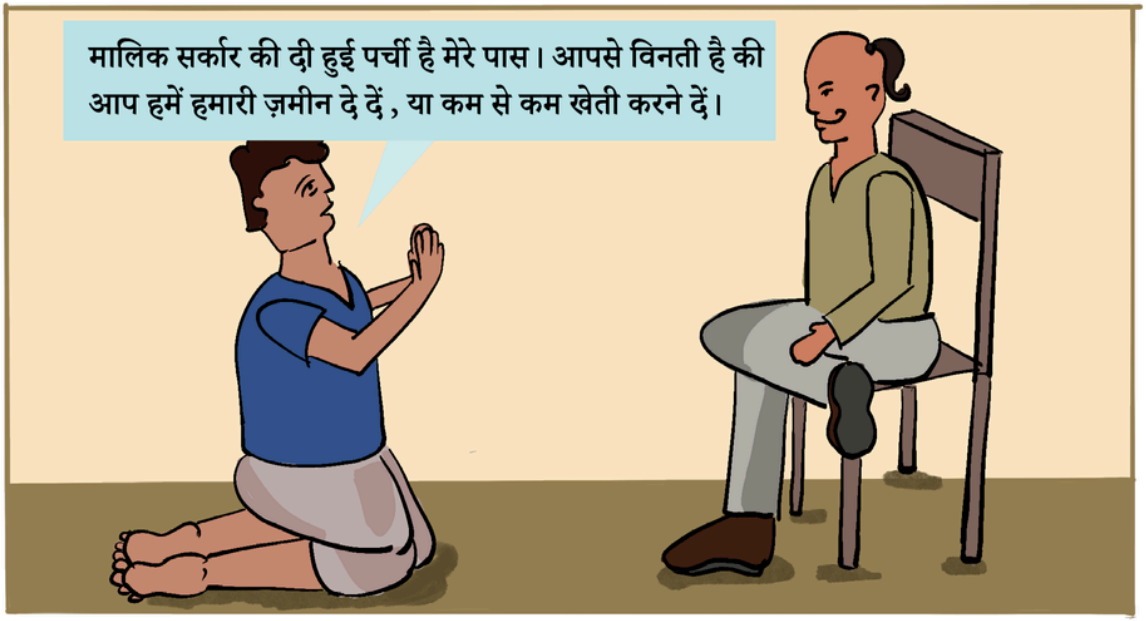
मालिक सर्कार की दी हुई पर्ची है मेरे पास। आपसे विनती है की आप हमें हमारी ज़मीन दे दें , या कम से कम खेती करने दें।

बटाई पर खेती क्या करने दे दिया तुम्हारा इतना मन बढ़ गया !

पर यह तो मेरा अधिकार है।

अधिकार?! तुम्हारे बाप-दादा का हमारे सामने मुँह खोलने का औकात नहीं था, तुम्हारा अधिकार माँगने का हिम्मत हो गया?
ये लो! और लो अधकिार!

माँ, ये बापू को क्या हो गया?
गलती बापू की नहीं है, वे लोग दबंग हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है।
चलो, बापू को डॉक्टर के पास ले जाना है।

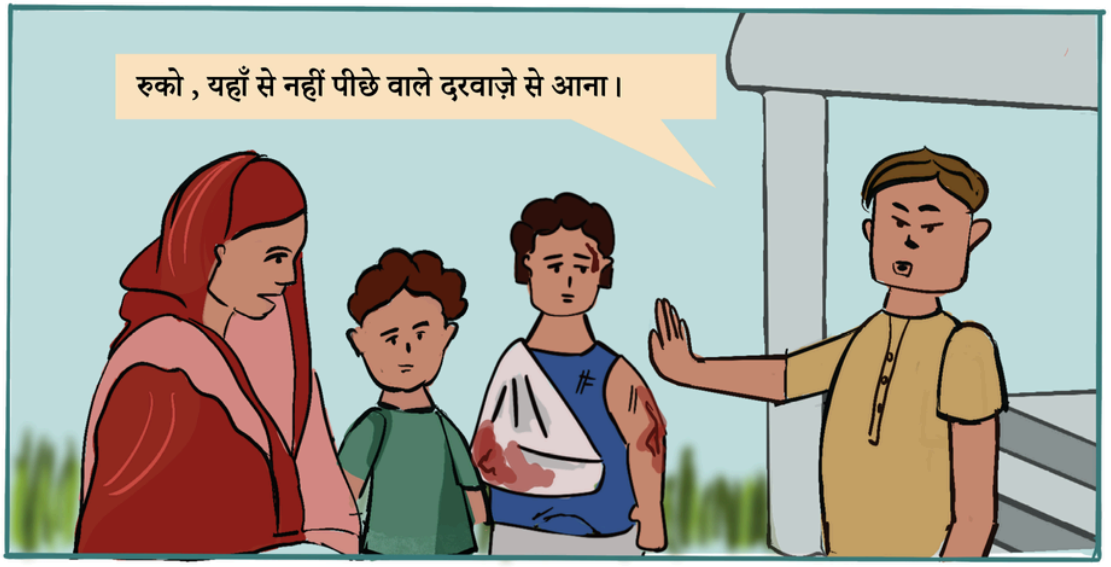
रुको , यहाँ से नहीं पीछे वाले दरवाज़े से आना।

माँ, वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं?

क्या यह सब सही है?

अगले दिन पाठशाला में...

मैम, हमारे बापू के साथ बहुत गलत हुआ। कुछ बड़े लोगों ने उनकी ज़मीन ज़ब्त कर ली है और फिर उन्हें पीटा भी। क्या यह सही है?

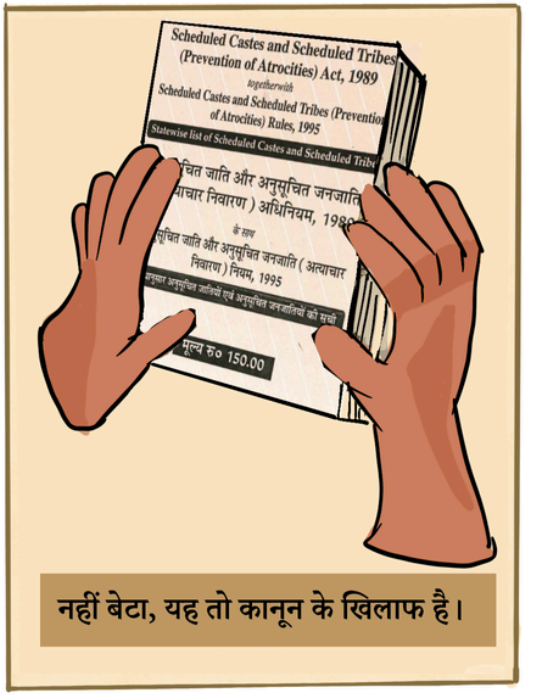

नहीं बेटा, यह तो कानून के खिलाफ है।

हमारे समाज में जातिवाद और उससे जुड़ी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, उतना ही लम्बा रहा है इस उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष। इन संघर्षों में सभी तरह के सामाजिक और राजनीतिक प्रयास शामिल रहे हैं। कानून, एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना के लिए, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण साधन रहा है।

विशेष कानून क्यों?

आज़ादी मिलने के बाद बाबासाहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में जब संविधान की संरचना की जा रही थी, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया। अपराधों को परिभाषित करने और कानूनी प्रक्रिया में लाने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया गया जिसे 1976 में संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के नाम से अब जाना जाता है।

कानून के बावजूद, अत्याचार और अन्याय की गतिविधि बढ़ती रही। वास्तव में, उत्पीड़ितों द्वारा अपने अधिकार सुरक्षित करने के हर कदम पर उत्पीड़कों द्वारा क्रूर प्रतिशोध किया गया। ख़ासकर, बिहार में, 1980 के दशक से 2001 के बीच, दलित मजदूरों और भूस्वामी जातियों के बीच बेहतर मजदूरी और सामंती उत्पीड़न को खत्म करने के लिए भयानक जाति-आधारित नरसंहार देखे गए।

जाति आधारित हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें शामिल था - दलितों और आदिवासियों के खिलाफ ऐतिहासिक रूप से किए जाने वाले कृत्य जिन्हें पहले अपराध नहीं माना जाता था, जैसे घर के बाहर कूड़ा फेंकना, या जबरन सिर मुंडवाना, को अपराध बनाना; पीड़ितों को सुरक्षित करने के लिए राहत और पुनर्वास प्रदान करना; अपराधों को रोकने के लिए पुलिस और राज्य को विशेष अधिकार देना और कानून के सख्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी स्थापित करना। इसी संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया गया।

अत्याचार क्या है?

- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ गैर-अनुसूचित जातियों/ जनजातियों द्वारा किए गए अपराधों को अत्याचार माना जाता है। हालांकि, इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है
- धारा 3 के तथा ऐसे 37 अपराधों को दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के खिलाफ अन्य अनुसूचित जातियों/जनजातियों द्वारा किए गए अपराध इसमें शामिल नहीं होते
- खानाबदोश और विमुक्त जनजातियों के खिलाफ किए गए अपराध भी इसमें शामिल नहीं होते

भूमि और संपत्ति के विरुद्ध अत्याचार

- परिसर या पड़ोस में मल, सीवेज, शव या किसी भी घिनौना या आपत्तिजनक पदार्थ को फेंकना (धारा 3(1)(ख))
- भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करना या उस पर खेती करना (धारा 3(1)(च))
- गलत तरीके से वन अधिकार, पानी या सिंचाई सुविधाओं सहित भूमि से वंचित करना (धारा 3(1)(छ))

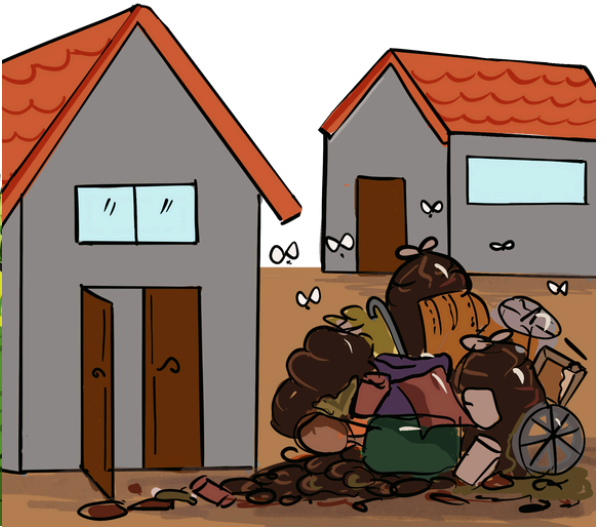

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

- किसी महिला को किसी धार्मिक संस्था के लिए समर्पित करके देवदासी का प्रदर्शन या प्रचार करना (धारा 3(1)(ट))
- किसी महिला को उसके सहमति के बिना जानबूझकर छूना (धारा 3(1)(ब)(i))
- किसी महिला के प्रति यौन प्रकृति के शब्दों या इशारों का प्रयोग करना (धारा 3(1)(ब)(ii))

घरों/पवित्र वस्तुओं के विरुद्ध अत्याचार

- उच्च सम्मान में मानी जाने वाली तस्वीर, चित्र या वस्तुओं को नष्ट करना (धारा 3(1)(न))
- उच्च सम्मान में रखे गए किसी भी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना (धारा 3(1)(फ))
- आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना (धारा 3(2)(iii))
- उपयोग किए जाने वाले किसी भी घर या पूजा स्थल में आग लगाकर क्षति पहुंचाना (धारा 3(2)(iv))

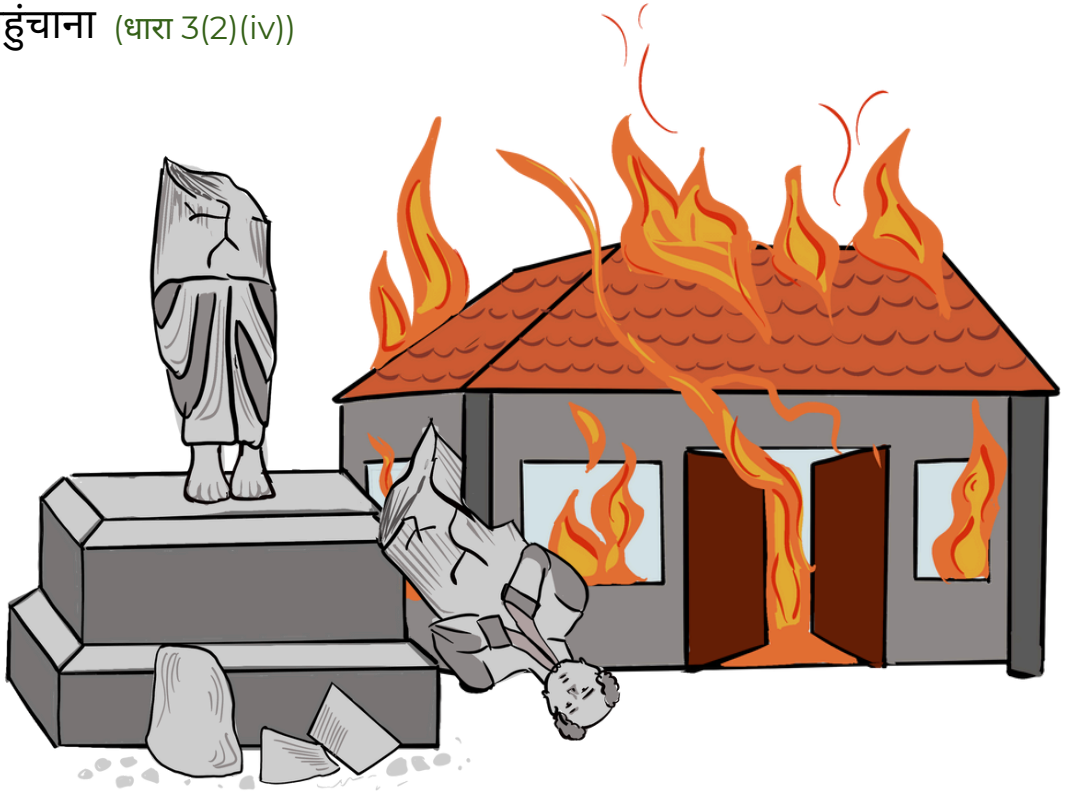

सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग के विरुद्ध अत्याचार

- किसी झरने, जलाशय या पानी के किसी अन्य स्रोत को दूषित या गंदा करना (धारा 3(1)(भ))
- किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने के अधिकार से इनकार करना या उसमें बाधा लना (धारा 3(1)(म))
- गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (धारा 3(1)(य))
- सामान्य संपत्ति संसाधनों के उपयोग में बाधा डालना / रोकना जिनमें शामिल: (धारा 3(1)(यक)(अ))
  - दफ़न या श्मशान
  - नदी, नाला, कुआँ
  - टंकी, पानी का नल,
  - सड़क या मार्ग
  - स्नान घाट

- निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने से रोकना या बाधा डालना (धारा 3(1)(यक)(आ))
  - साइकिल चलाना
  - सार्वजनिक स्थानों पर जूते / नए कपड़े पहनना
  - बारात निकालना
  - बारात के दौरान घोड़े/किसी अन्य वाहन पर चढ़ना
- किसी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या धमकी देना (धारा 3(1)(यग))

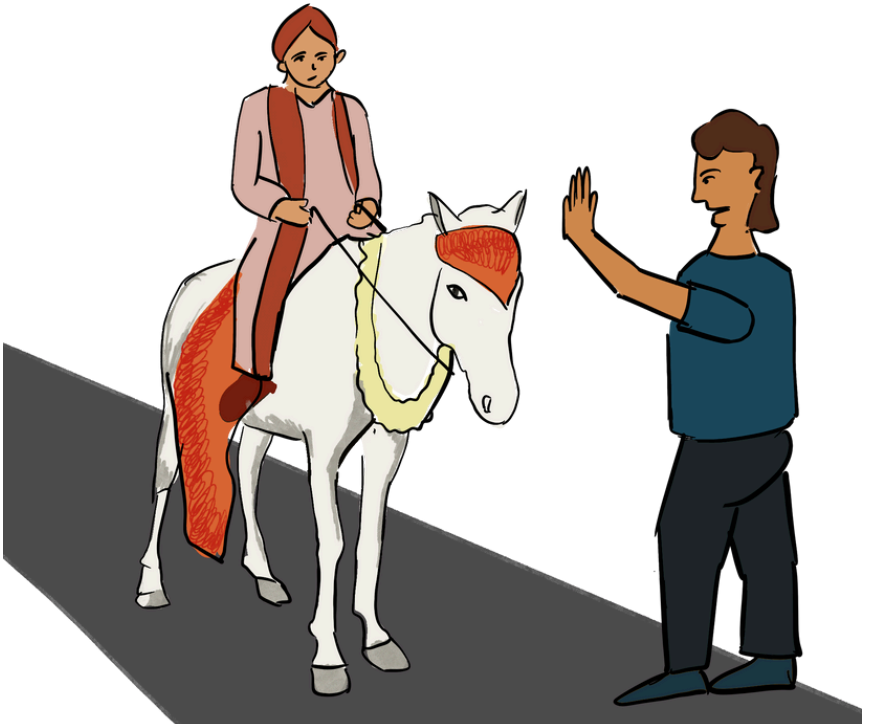

व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार

- कोई आपत्तिजनक या अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करना (धारा 3(1)(क))
- जूते-चप्पलों की माला पहनाकर या नग्न/अर्धनग्न होकर घुमाना (धारा 3(1)(घ))
- जबरदस्ती सिर मुंडवाना या मूंछें हटाना या चेहरे या शरीर पर रंग लगाना या इसी तरह के कृत्य (धारा 3(1)(ङ))
- किसी के विरुद्ध झूठी कानूनी कार्यवाही करना (धारा 3(1)(त))
- किसी को चोट पहुंचाने या परेशान करने के लिए लोक सेवक को गलत जानकारी देना (धारा 3(1)(थ))
- सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी स्थान पर जानबूझकर अपमानित करना (धारा 3(1)(द))

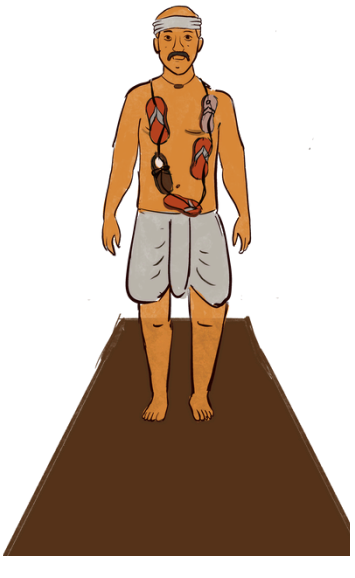

- जान-बूझकर सार्वजनिक दृष्टि से जाति के नाम से अपमान करना (धारा 3(1)(ध))
- शब्दों या संकेतों के माध्यम से शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना (धारा 3(1)(प))
- झूठे साक्ष्य देना जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्य को मौत, फांसी या सात साल या अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है (धारा 3(2)(i)/(ii))

रोज़गार के विरुद्ध अत्याचार

- बेगार या अन्य प्रकार की बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य करना (धारा 3(1)(ज))
- कब्र खोदने या शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर करना (धारा 3(1)(झ))
- मैला ढोने के लिए मजबूर करना (धारा 3(1)(ञ))
- जादू-टोना करने या डायन होने का आरोप लगाकर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना (धारा 3(1)(यख))

चुनावी अधिकारों के विरुद्ध अत्याचार

- मतदान करने से रोकना (धारा 3(1)(ठ)(अ))
- उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने/वापस लेने से मजबूर करना (धारा 3(1)(ठ)(आ))
- मतदान के बाद चोट पहुंचाना या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देना (धारा 3(1)(ठ)(ढ))
- किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष/विरुद्ध में मतदान करने के लिए कोई अपराध करना (धारा 3(1)(ण))
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित पंचायत, नगर पालिका के किसी अधिकारी को सामान्य कर्तव्यों / कार्यों को करने से रोकना (धारा 3(1)(ड))

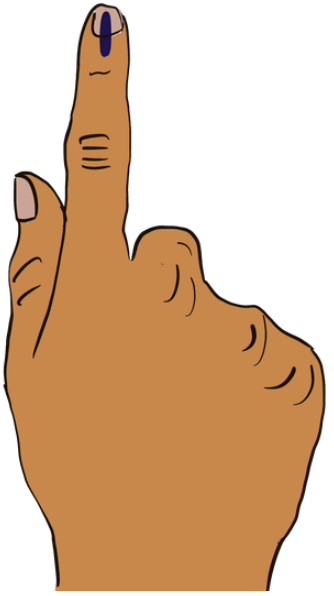

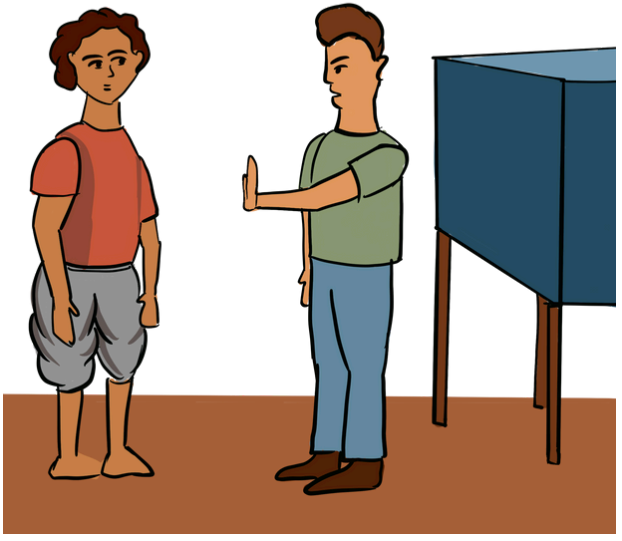

शुक्रिया मैडम, अभी मुझे अपराधों के बारे में पता चल गया है। मगर अब क्या किया जाए?
गुनहगार को सज़ा मिलेगी, पर पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी ताकि तुम मुआवजा पा सको।
मैम, मेरे और भी कुछ सवाल हैं।
1) क्या किसी को धमकी, हिंसा या दबाव से बचाने के लिए कुछ अधिकार होते हैं?
2)क्या सरकार अपराध रोकने के लिए कुछ करती है?
हां, मैं सब बताती हूं।

राहत और मुआवज़े का अधिकार

- अत्याचार के तुरंत बाद पीड़ितों और उनके आश्रितों के राहत के लिए मुआवज़ा दिया जाता है
- मुआवज़ा किश्तों में दिया जाता है

  - तत्काल मुआवज़ा - FIR दर्ज करने पर
  - अंतरिम मुआवज़ा - पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर
  - अंतिम मुआवज़ा - अदालत द्वारा गुनहगार को दोषी ठहराने पर

- अपराध के आधार पर मुआवज़े की कुल राशि ₹85000 से ₹825000 तक होती है
- राहत के आलावा पुनर्वास के लिए भूमि, मकान, सरकारी नौकरी, पीड़ित के बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण खर्च आदि के आवंटन के रूप में भी पीड़ित को मुआवज़े का अधिकार है
- यदि प्रशासन विफ़ल रहता है, तो विशेष न्यायलय के पास मुआवज़े का आदेश देने का अधिकार है

राहत और मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए कदम

1

एक FIR दर्ज करना

2

पुलिस एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजती है

3

जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित विकास मित्र से पीडितों/आश्रितों के आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण की प्रति एकत्र करने को कहता है। विकास मित्र और नोडल विकास मित्र, दस्तावेज़ एकत्र करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजते हैं

4

आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी प्राप्त करने के बाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुआवज़े का एक आवेदन तैयार करता है

5

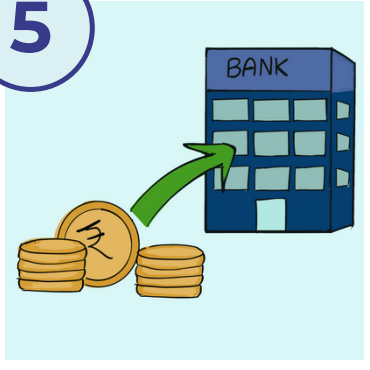

जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुआवजा अनुसूची के अनुसार, मुआवजे की राशि पीड़ित के बैंक खाते में जमा कर देता है

मुआवज़ा अनुसूची के लिए पेज नंबर *40 - 45* पर जाएं

कानूनी प्रक्रिया की समयसीमा (दिनों में)

1

अत्याचार / FIR की तिथि

घटना घटती है और FIR दर्ज की जाती है। कानूनी प्रक्रिया FIR दर्ज करने पर ही शुरू होती है।

0 दिन (01.01.2025)

2

जिला अधिकारी द्वारा मुआवजा

पीड़ित या उनके परिवार को जिला अधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता के लिए तत्काल मुआवज़ा दिया जाता है।

FIR से 7 दिन के भीतर (08.01.2025)

3

पुलिस जांच और आरोप पत्र

पुलिस अपनी जांच पूरी कर सारे सबूतों के साथ एक आरोप पत्र तैयार करती है और उसे न्यायालय में जमा करती है

FIR से 60 दिन के भीतर (01.03.2025)

4

जिलाधिकारी द्वारा अंतरिम मुआवज़ा

पुलिस द्वारा आरोप पात्र दाखिल करने के बाद जिला अधिकारी द्वारा पीड़ित या उनके परिवार को अंतरिम मुआवज़ा दिया जाता है

आरोप पत्र के 7 दिन के भीतर (08.03.2025)

5

सुनवाई और निर्णय

न्यायलय में शीघ्र सुनवाई कर, अदालत अपने निर्णय में आरोपी को या तो दोषी मानते हुए सज़ा देती है या तो निर्दोष पाती है

आरोप पत्र के 60 दिन के भीतर (01.05.2025)

6

जिलाधिकारी द्वारा अंतिम मुआवज़ा

गर आरोपी दोषी पाया जाता है, तो जिला अधिकारी द्वारा पीड़ित या उनके परिवार को अंतिम मुआवज़ा दिया जाता है

निर्णय से 7 दिन के भीतर (08.05.2025)

7

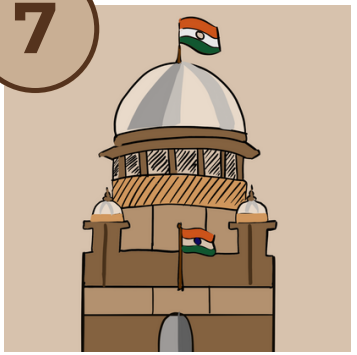

उच्च न्यायालय में अपील

अगर अदालत का निर्णय संतोषजनक नहीं है तो उच्च न्यायालय में वादी/ प्रतिवादी द्वारा अपील की जा सकती है (वादी/ प्रतिवादी को अपना अपील जमा करने में 180 दिन तक की देरी माफ़ हो सकती है)

निर्णय के 90 दिन के भीतर (01.08.2025)

8

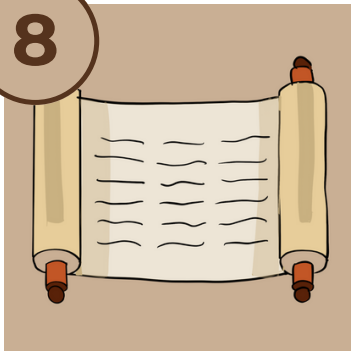

उच्च न्यायालय का निर्णय

उच्च न्यायालय को अपना निर्णय शीघ्र सुनवाई कर देना होता है

अपील के 90 दिन के भीतर (01.02.2026)

पीड़ितों और गवाहों के विशेष अधिकार (धारा 15-क)

- धमकी, जबरदस्ती या हिंसा या हिंसा की धमकियों के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा का अधिकार *(धारा 15-क(1))*
- जमानत कार्यवाही सहित अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना का अधिकार *(धारा 15-क(3))*
- पार्टियों को दस्तावेज़ या गवाह पेश करने या उपस्थित व्यक्तियों की जांच करने के लिए समन करने का अधिकार *(धारा 15-क(4))*
- जमानत, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि, बरी, या सजा पर लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने और सुने जाने का अधिकार *(धारा 15-क(5))*
- आदेशों, निर्णयों या रिकॉर्ड में नाम और पता गुमनाम रखने का अधिकार *(धारा 15-क(8)(क)/(ख))*
- किसी पीड़ित, मुखबिर या गवाह के उत्पीड़न से संबंधित शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का अधिकार *(धारा 15-क(7)/15-क(8)(ग)/15-क(9))*
- अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग का अधिकार *(धारा 15-क(10))*
- अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों को गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार *(धारा 15-क(12))*

सतर्कता और निगरानी

- कानून का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि अत्याचारों को रोकना भी है
- अत्याचार रोकने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को कई अधिकार दिए गए हैं जैसे कि - सामूहिक जुर्माना लगाना, अपराधी की संपत्ति जप्त करना, अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को गांव से बाहर रहने का आदेश देना

सतर्कता और निगरानी

- अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए अनुमंडल, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं, जिसमें आम लोग भी शामिल हो सकते हैं
- अनुमंडल और जिला समिति को 3 महीने में एक बार (साल में कुल चार बार) बैठक करनी होती है जहाँ वे हर एक केस (मामले) और पूरे कानून के पालन पर निगरानी रखते हैं, जिसकी रिपोर्ट भी बनती है

सतर्कता और निगरानी

- पुलिस उत्पीड़न को देखते हुए पुलिस के व्यवहार और जांच पर निगरानी रखने के लिए राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष स्थापित होता है
- संरक्षण कक्ष सारे जाँच अधिकारियों की लापरवाही पर कार्यवाही करती है और हर महीने में एक बार राज्य सरकार को रिपोर्ट देती है

पुलिस अपनी ही पुलिस पर नजर रख रही है/निगरानी कर रही है।

मैम, मेरे और भी कुछ सवाल हैं
अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करदे तो?
अगर मुआवज़ा नहीं मिला तो?
अगर पुलिस ने जांच ढंग से नहीं की तो?

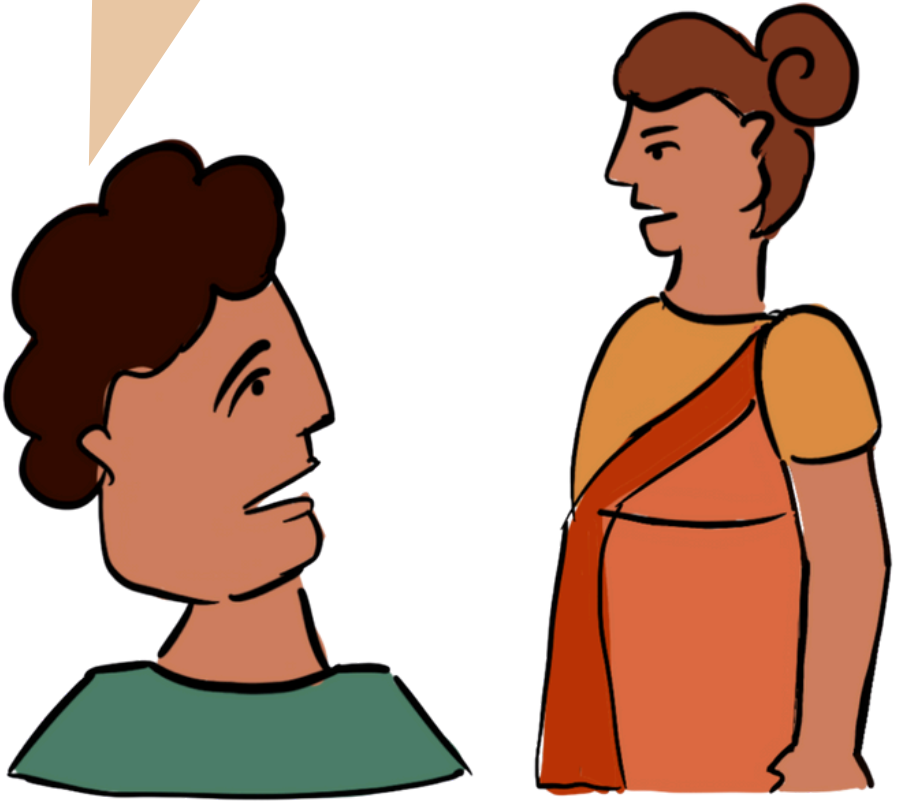

यदि आप पुलिस के पास जाकर मौखिक रूप से घटना की जानकारी देते हैं लेकिन वे FIR दर्ज नहीं करते हैं - तो आप क्या कर सकते हैं?

- शिकायत की लिखित प्रति के साथ पुलिस स्टेशन जाएँ और रसीद प्राप्त करने की कोशिश करें।
- यदि पुलिस रसीद देने से इनकार करती है, तो पुलिस स्टेशन से बाहर आकर "112" पर कॉल करें और उन्हें सूचित करें कि आप पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वे FIR दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि "112" पर की गई कॉल रिकॉर्ड होती है और आमतौर पर उस मोबाइल नंबर पर एक sms प्राप्त होता है, जिससे आपने कॉल की थी, जिसमें शिकायत संख्या होती है।
- लिखित में शिकायत लेकर वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि SP (पुलिस अधीक्षक), से मिलकर उन्हें शिकायत सौंप दे और उनसे रसीद प्राप्त करने की कोशिश करें
- यदि पुलिस अब भी FIR दर्ज करने से इनकार करती है, तो सम्बंधित थाना के थाना प्रभारी और SP (जिला पुलिस अधीक्षक) को पंजीकृत डाक द्वारा एक लखित शिकायत भेजें और उस पत्र की एक प्रति और डाक की रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें
- यदि इन सारे प्रयासों के बाद भी पुलिस FIR दर्ज न करे, तो पुलिस से FIR दर्ज करवाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने के लिए एक वकील से मदद मांगे - ध्यान रहे - ऊपर लिखे गए प्रयास करने के बाद ही न्यायिक मजिस्ट्रेट से राहत मिल सकती है

यदि कोई अत्याचार होता है, और FIR दर्ज की जाती है, लेकिन मुआवजा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है - तो आप क्या कर सकते हैं?

- बिहार में, मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए, आपको जिला कल्याण अधिकारी को एक पत्र लिखने की आवश्यकता होगी, जिसमें FIR की प्रति, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण संलग्न करना होगा।
- जिला कल्याण अधिकारी को भेजी गई चिट्ठी की एक प्रति आप जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति (यानि, जिला अधिकारी) को दे सकते हैं
- अपने वकील से अनुरोध करें कि वह विशेष अदालत या एससी/एसटी मामलों के लिए अनन्य विशेष अदालत में आवेदन दाखिल करें।
- पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल करें और जिला मजिस्ट्रेट को अनुपालन करने के निर्देश देने का अनुरोध करें।

यदि FIR दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, या पीड़ित को लगातार धमकियां मिल रही हैं - तो आप क्या कर सकते हैं?

- ससम्बंधित थाना के थाना प्रभारी और जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को पंजीकृत डाक द्वारा एक लखित शिकायत भेजें, जिसमें बताएं कि पुलिस को कौन-कौन सी जांच करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की, या किस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं, किसके द्वारा, कब और कहां। उस पत्र की एक प्रति और डाक रसीद को सुरक्षित रखें।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन दाखिल करें ।

क्या यह कानून वाकई में हमारी सुरक्षा कर सकता है?

अगर हमने कानून का सहारा लिया तो क्या वे दबंग लोग बापू को और मारेंगे?

हमें तो अस्पताल में भी जाने नहीं देते, क्या पुलिस हमारी मदद करेगी?

कानूनी लड़ाई तो कितनी लम्बी और मुश्किल होती है!

क्या बापू, माँ और मैं इस लड़ाई में अकेले हैं?

क्या ये लड़ाई सिर्फ मेरी है?

पहला कदम उठाएँ

मुख्य संपर्क	फ़ोन नंबर/ई-मेल	डाक पता
जिला अधिकारी (DM)		
पुलिस अधीक्षक (SP)		
जिला कल्याण अधिकारी (DWO)		
प्रखण्ड विकास अधिकारी (BDO)		
नोडल विकास मित्र		
विकास मित्र		
न्याय मित्र		
थाना प्रभारी		
जिला / अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्य		
संगठन / सामाजिक कार्यकर्ता		
अन्य		

मुआवज़ा अनुसूची

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(क)	कोई आपत्तिजनक या अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ख) या ३(१)(ग)	परिसर या पड़ोस में मल, सीवेज, शव या किसी भी घिनौना या आपत्तिजनक पदार्थ को फेंकना	10,000	50,000	40,000	1,00,000
३(१)(घ)	जूते-चप्पलों की माला पहनाएं या नग्न/अर्धनग्न होकर घुमाना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ङ)	जबरदस्ती सिर मुंडवाना या मूंछें हटाना या चेहरे या शरीर पर रंग लगाना या इसी तरह के कृत्य	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(च) या३(१)(छ)	भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करना / उस पर खेती करना / गलत तरीके से वन अधिकार, पानी या सिंचाई सुविधाओं सहित भूमि से वंचित करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000 + संपत्ति की बहाली
३(१)(ज)	बेगार या अन्य प्रकार की बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(झ)	कब्र खोदने या शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया जाना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ञ)	मैला ढोने के लिए मजबूर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ट)	किसी महिला को किसी धार्मिक संस्था के लिए समर्पित करके देवदासी का प्रदर्शन या प्रचार करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ठ) या३(१)(ण)	मतदान करने/किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष/विपक्ष में मतदान करने/उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने/वापस लेने से मजबूर करना या रोकना	21,250	42,500	21,250	85,000
३(१)(ड)	अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष या सदस्य या किसी अन्य अधिकारी को सामान्य कर्तव्यों / कार्यों को करने से रोकना	21,250	42,500	21,250	85,000
३(१)(ढ)	मतदान के बाद चोट पहुंचाना या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देना	21,250	42,500	21,250	85,000

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(त)या ३(१)(थ)	किसी के विरुद्ध झूठी कानूनी कार्यवाही करना या परेशान करने के लिए किसी लोक सेवक को गलत जानकारी देना	21,250या (25%)	42,500या (50%)	21,250या (25%)	85,000 या (क़ानूनी ख़र्च)
३(१)(द)	सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी स्थान पर जानबूझकर अपमानित करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ध)	जान-बूझकर सार्वजनिक दृष्टि से जाति के नाम से अपमान करना या अपमानित करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(न)	उच्च सम्मान में मानी जाने वाली क़ानून, तस्वीर या चित्र सहित वस्तुओं को नष्ट करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(प)	शब्दों या संकेतों के माध्यम से शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना	25,000	50,000	25,000	1,00,000

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(फ)	उच्च सम्मान में रखे गए किसी भी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(ब)(i) या ३(१)(ब)(ii)	किसी महिला को उसकी सहमति के बिना जानबूझकर छूना या उसके प्रति यौन प्रकृति के शब्दों या इशारों का प्रयोग करना	50,000	1,00,000	50,000	2,00,000
३(१)(भ)	किसी झरने, जलाशय या पानी के किसी अन्य स्रोत को दूषित या गंदा करना	-	-	-	पुनर्स्थापना की पूरी लागत
३(१)(म)	किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने के अधिकार से इनकार करना या उसमें बाधा डालना	1,06,250	2,12,500	1,06,250	4,25,000 + पुनर्स्थापना की पूरी लागत
३(१)(य)	गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना	25,000	50,000	25,000	1,00,000 + परिसर की बहाली
३(१)(यक)	सामान्य संपत्ति संसाधनों के उपयोग में बाधा डालना / रोकना या कार्य करने से रोकना	25,000	50,000	25,000	1,00,000 + अधिकारों की बहाली

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(१)(यख)	जादू-टोना करने या डायन होने का आरोप लगाकर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना	25,000	50,000	25,000	1,00,000
३(१)(यग)	किसी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या धमकी देना	-	1,00,000	-	1,00,000 + बहिष्कार का पूर्ववत
३(२)(i) & ३(२)(ii)	झूठे साक्ष्य देना जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति / जनजाति सदस्य को मौत, फांसी या सात साल या अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है	1,03,250	2,07,500	1,03,250	4,15,000
३(२)(iii) & ३(२)(iv)	आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी घर या पूजा स्थल में आग लगाकर क्षति पहुंचाना	-	-	-	क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत की लागत
३(२)(vii)	एक लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न	50,000	1,00,000	50,000	2,00,000

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी/ मेडिकल रिपोर्ट की प्राप्ति	आरोप पत्र	दोषसिद्धि	सम्पूर्ण
३(२)(v)	भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध के लिए 10 साल या उससे अधिक की सजा	1,00,000	2,00,000	1,00,000	4,00,000
	भा० दं० सं० की धारा 375, 376, 376ए, 376ई, 377 - बलात्कार	2,50,000	1,25,000	1,25,000	5,00,000
	भा० दं० सं० की धारा 376डी - सामूहिक बलात्कार	4,12,500	2,06,250	2,06,250	8,25,000
	हत्या या मौत	4,12,500	4,12,500	-	8,25,000
३(२)(va)	भा० दं० सं० के तहत अपराध के लिए 10 साल से कम की कैद की सजा	50,000	1,00,000	50,000	2,00,000
	भा० दं० सं० की धारा 354, 354क, 354ख, 376ख, 376ग - महिलाओं पर आपराधिक बल का प्रयोग, यौन उत्पीड़न, महिला के गरिमा का अपमान	1,00,000	50,000	50,000	2,00,000
	भा० दं० सं० की धारा 354ग, 354घ - ताक-झांक, पीछा करना	20,000	1,00,000	80,000	2,00,000

धारा	अपराध/ अत्याचार	प्राथमिकी	मेडिकल रिपोर्ट की प्राप्ति	सम्पूर्ण
३(२)(v) / ३(२)(va)	भा० दं० सं० की धारा 326क और 326ख - जानमुझकर तेजाब आदि के प्रयोग से गंभीर चोट पहुंचाना	50%	50%	85,000 or 4,15,000 or 8,25,000 जलने की डिग्री के आधार पर + चिकित्सा उपचार व्यय के भुगतान

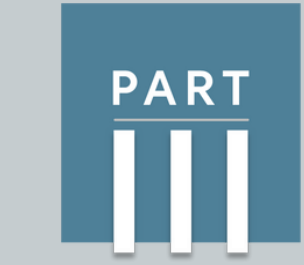

PART III

ACTION RESEARCH & RESOURCE CENTRE

पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर मौलिक अधिकारों तक पहुँच और उनके प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वर्तमान में, हमारा काम पहचान आधारित भेदभाव और हिंसा पर केंद्रित है। हमारा मानना है कि व्यक्तिगत हिंसा और भेदभाव के सभी घटनाएं समाज की संरचनात्मक और कार्यात्मक वास्तिविक्ताओं में निहित है और जब व्यवस्थागत उत्पीड़न से प्रभावित व्यक्ति / समुदाय बदलाव की अगुआई करते हैं तो संविधान परिवर्तनकारी न्याय का स्थल बन सकता है।

हम ज़मीनी स्तर के विचार क साथ एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाते हैं जहाँ कार्यवाही अनुसन्धान को सूचित करती है और अनुसन्धान कार्यवाही को सूचित करता है। हम कानूनी हस्तक्षेप, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और वकालत के माध्यम से न्याय, सम्मान और प्रणालीगत जवाबदेही कायम रखने के उनके प्रयास में समुदाय आधारित संगठनों के साथ-साथ प्रणालीगत और पहचान आधारित हिंसा के पीड़ितों के साथ मिलकर काम करते हैं।

यह पुस्तिका कई संगठनों के काम पर आधारित है, जिन्होंने पिछले कई दशकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन पर कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है। हम विशेष रूप से नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स (NCDHR), अल्टरनेटिव लॉ फोरम (ALF) और सिटीजन्स विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी (CVMC) को धन्यवाद देते हैं, जिनके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री और अन्य काम ने हमें इस पुस्तिका को तैयार करने के लिए प्रेरित किया।

पार्ट III के कार्यालय नई दिल्ली और पटना में हैं। हमारे काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.part-three.org पर जाएं।